3/10

संख्याः– 154/xxx (2)/2015–55(08)/2002

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 16 अप्रैल, 2015

विषयः– राज्य कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) द्वारा सरकारी सेवक के सेवाकाल में मृत हो जाने की दशा में मृत सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य को नियमानुसार राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों (यथा समूह 'ग' एवं 'घ') पर सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 877 XXVII(7) च0श्र0/2011 दिनांक 24–03–2011 के माध्यम से समूह 'घ' के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया गया, तदोपरान्त वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 63 XXVII(7) 27(8)/2011 दिनांक 05–07–2011 के द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया, कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24–03–2011 के द्वारा समूह 'घ' के पदों को मृत संवर्ग घोषित करने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के भर्ती नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

3. शासन के सज्ञांन में यह तथ्य आया है कि वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 24–3–2011 के सम्बन्ध में समूह 'घ' के पदों पर मृतक आश्रितों के सम्बन्ध में पुनः शासनादेश दिनांक 5–7–2011 द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने के पश्चात भी कतिपय विभागों द्वारा अभी भी समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता रखने वाले मृतक आश्रितों को समूह 'घ' का पद मृत संवर्ग होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि मृतक आश्रितों के भर्ती नियमावली 1974 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति करने के लिए मृत संवर्ग घोषित होने वाला वित्त विभाग का शासनादेश लागू नही है।

4. अतः इस सम्बन्ध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24–3–2011 द्वारा घोषित समूह 'घ' के पद के लिए उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली 1974 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के अन्तर्गत समूह 'घ' के पद पर किसी मृतक आश्रित के समूह 'घ' के लिए पात्र होने पर नियुक्ति हेतु डाईग कैडर नहीं माना जायेगा, बल्कि समूह 'घ' के लिए पात्र होने की दशा में मृतक आश्रित को समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी, और इस सीमा तक समूह 'घ' का संवर्ग पुनर्जीवित माना जायेगा।''

5. कृपया उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

संख्या /XXX(2)/2015–55(08)2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त , उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिदेशक, सूचना विभाग , उत्तराखण्ड देहरादून।
5. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. सचिवालय, के समस्त अनुभाग।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।